



अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल

ग्राम मुगालिया कोट, सूरी रोड/मिदिशा रोड, भोपाल(म.प्र.)-462038
दूरभाष क्रमांक-0766-2491052

क्रमांक एफ 1(16)/2022 /स्थापना/69

भोपाल, दिनांक 09/01/2023

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय में दिनांक 20-12-2022 को शैक्षणिक संवर्ग के सहायक प्राध्यापक की भर्ती हेतु प्रसारित पात्र, सशर्त पात्र, अपात्र सूची के आधार पर आवेदकों से प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :-

प्रकरण क्रमांक -1

डॉ. नरेन्द्र चौहान, वनस्पति विषय के अंतर्गत प्राप्त आपत्ति पर समिति द्वारा समीक्षा समिति के पत्रक में उल्लेखित टीप Not Eligible UG and PG neither in Botany nor in Allied Subject. एवं म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 28-11-2017 Allied Subject में उल्लेख किया है कि उनमें कृषि (Agriculture) उल्लेख नहीं है। के आधार पर समिति द्वारा समीक्षा समिति के निर्णय से राहगत छोटे हुए अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया गया।

प्रकरण क्रमांक -2

अभ्यर्थी प्रियंका कुमारी, योग विषय के अंतर्गत प्राप्त आपत्ति के निराकरण हेतु समिति द्वारा समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा पत्रक पर अंकित टिप्पणी Not Eligible (Candidate form Other State) एवं मध्य प्रदेश शासन, आरक्षण नियमों के प्रकाश में अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया गया।

प्रकरण क्रमांक -3

अभ्यर्थी नीलम सिंह, योग विषय से प्राप्त आपत्ति के निराकरण हेतु अभ्यर्थी के द्वारा यू.जी.सी. नेट परीक्षा वर्ष 2018 प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण पात्र माना गया है, किन्तु अभ्यर्थी से मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र साक्षत्कर के पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है।

प्रकरण क्रमांक -4

अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार शर्मा, योग विषय से प्राप्त आपत्ति के निराकरण हेतु समीक्षा समिति द्वारा न्यायिक प्रकरण क्रमांक WP-5989/2017 का उल्लेख करते हुये, तत्समय जारी विज्ञापन के आधार पर प्रस्तुत आपत्ति को अमान्य किया गया है।

प्रकरण क्रमांक -5

अभ्यर्थी डॉ. राजबहादूर जायसवाल, राजनीति शास्त्र विषय से प्राप्त आपत्ति के निराकरण हेतु प्रकरण पर समिति द्वारा आगामी समय में कार्यवाही प्रस्तावित /अपेक्षित का उल्लेख किया गया है। समिति द्वारा उपरोक्तानुसार 5 (पाँच) प्रकरणों का निराकरण किया गया।

आदेशानुसार

(यशवरा सिंह पटेल)

कुलसचिव

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय
भोपाल, दिनांक 09/01/2023

पृ. क्रमांक एफ 1(16)/2022 /स्थापना/69
प्रतिलिपि :-

1. विज सहायक के माध्यम से गणनीय कुलपतिजी की ओर सूचनाएँ।
2. वेबसाईट प्रभारी, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

कुलसचिव